(c) whether such exporters have been barred from holding the position of officers in the Export Promotion Councils and other Government aided Committees and Corporations, if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir. Whereas the first article captioned "Garment Exporters Arrested" appeared in Indian Express (Madras Edition) dated 16th February, 1994, the second article appeared in the Hindu (Madras Edition) dated 16th February, 1994.

(b) Three persons, namely, Shri Bharat Bhushan Goyal, partner of M|s Goyal Dresses, Madras, Shri Rajesh Bhansali, Director, M|s. Bhansali Garments, Madras and Shri S. Vaidyanathan, Managing partner of M/s. Best Febrics, Madras were arrested on 14th February, 1994 by the officers of Directorate of Revenue Intelligence, Madras for their involvement in the evasion of customs duty in the import of label tapes and nylon tafetta under the Duty Exemption Scheme. Duty involved is approximately Rs. 48 lakhs.

Three other cases involving misdeclaration of goods, diversion of materials imported and violation of Input Output norms have been detected by Directorate of Revenue Intelligence.

(c) Export Promotion Councils and other similar bodies are autonomous and regulate their own affairs. There is no provision in the Exim Policy to bar such exporters from holding positions in the Managing Committee of Export Promotion Councils.

स्टेट बैंक आफ इंदौर की शाखाओं को हो रहे घाटे

2094. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंदौर की ऐसी शाखाओं की संख्या कितनी है जो इस समय घाटे में चल रही है और ऐसी प्रत्येक शाखा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उन्हें लाभकारी शाखाओं में बदलने हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है अथवा 1 अप्रैल, 1994 से उन्हें बन्द करने का विचार है ; और

(ग) क्या वित्त मंत्रालय स्टेट बैंक आफ इन्दौर की कार्य प्रणाली/नीतियों में आवश्यक उधार करने पर विचार कर रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) स्टेट बैंक आफ इंदौर के अनुसार, जनवरी, 1994 के अंत तक की स्थिति के अनुसार 39 शाखाएं (5 सेवा शाखाओं को छोड़कर जो कोई भी कारोबार नहीं कर रहीं हैं । घाटा उठा रही है । इन शाखाओं का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

श्रेणी	शाखाओं की संख्या
महानगरीय	5
शहरी	7
अर्ध-शहरी	2
ग्रामीण	25
जोड़	39

(ख) और (ग) स्टेट बैंक आफ इंदौर, इन शाखाओं को लाभ कमाने वाली शाखाओं के रूप में बदलने के लिये संगठित प्रयास कर रहा है । इन प्रयासों के परिणामस्वरूप मार्च 1993 में घाटा उठाने वाली शाखाओं की संख्या 64 से कम हो कर, जनवरी, 1994 में 39 रह गई ।

स्टेट बैंक आफ इंदौर के कर्मचारियों को देय ब्याज राशि

2095. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री 14 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1401 के दिये गये